[illegible]

15-2-19 पत्रावली पेश हुई / ~~[illegible]~~ P.O. ~~मीटिंग / बाहर / अवकाश~~ में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11-3-19 को पेश हो।

11.3.19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० हैं। वास्ते बहस 12.3.19 को पेश हो।

12/3/19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस सुनी। वास्ते आदेश 13.3.19 को पेश हो।

13.3.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हैं। पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वाँछित अनुतोषादि, जवाब सरकार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक अनुशीलन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर विचार किया एवं दौराने बहस उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विधिसंगत मनन किया गया।

तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण अधोलिखितानुसार है।

13/3/19

13/3/19

तनकी नम्बर 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रदर्श-2 नकल आवंटन आदेश दिनांक 6.9.1969 प्रस्तुत किया। उक्त आदेश से स्पष्ट है, कि वादी को ग्राम सोहनपुरा की भूमि साबिक खसरा नम्बर 366 (में से 10) भूमि आवंटित की गई थी। तथा कब्जा प्रदर्श-3 वादी को दिनांक 30-6-69 को दखल दिया गया था। प्रदर्श-1 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की नकल है।

कैम्प मदनपुरा पर सरकार द्वारा दिनांक 01-06-15 को प्रस्तुत जवाब में वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि आवंटन होना स्वीकार किया गया है। Indian Evidence Act के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत तथ्यों पर सामान्यतः साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी वादी को वादग्रस्त भूमि आवंटन होना एवं दखल प्राप्त करना प्रमाणित है। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी नम्बर 1 में वर्णित दस्तावेज के अतिरिक्त वादी द्वारा प्रदर्श-4 व प्रदर्श-5 - नोटिस U/S 80 C.P.C. एवं उसकी रसीद और पेश की है। जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार में वादग्रस्त भूमि - अर्थात [illegible]

कब्जा नहीं पाया गया है। उक्त(c) में सन 1969 में ही वादी को कब्जा देना जाहिर आता है, किन्तु वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर हाल अवाव सरकार कोई कब्जा नहीं होना पाया गया है। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह प्रकट होता कि वादग्रस्त भूमि पर फसल काश्त की जा रही है।

चूंकि रिकार्ड में हाल प्रदर्श-1 वादग्रस्त भूमि सिवाय चक सरकार दर्ज है। यदि वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा काश्त की जा रही होती तो उसके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जाती। इस प्रकार का भी कोई तथ्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट है, कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का settled possion नहीं है।

वादी मात्र कथन करता है, कि उसका वादग्रस्त भूमि पर गत 52 वर्षों से काश्तमय काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। पजेशन के अभाव में वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व तय किया जाना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं कहा जा सकता। उपलब्ध साक्ष्य पर विचारोपरान्त हम यह पाते हैं, कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के स्वत्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी [illegible]
	आसामी जैसा कि धारा 14 में वर्णित है, में से किसी भी श्रेणी की हैसियत रखता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में आबंटन से संबंधित मूलभूत प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया उक्त प्रतिबद्धताओं में से आबंटित भूमि पर कब्जा रखना तथा भूमि पर धारा 46 के निर्बन्धनों सहित काश्त करना प्रमुख है। वादी द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया है, कि वादग्रस्त भूमि पर काश्त की जा रही है। वादग्रस्त भूमि के क्रम में वादी की - हैसियत धारा 5 (43) धारा 14 R.T.Act में से किसी प्रकार की प्रमाणित नहीं होती लिहाजा वादग्रस्त भूमि पर वादी के स्वत्व की घोषणा प्रदत्त नहीं की जा सकती। चूंकि वादी द्वारा प्रति० के विरुद्ध धारा 188 का अनुतोष भी चाहा है, परन्तु वादग्रस्त भूमि पर वादी के खातेदारी हक की घोषणा नहीं होने से उक्त अनुतोष भी वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता। क्योंकि धारा 188 का वाद सिर्फ आसामी ही ला सकता है। और वादी की हैसियत आसामी [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तनकी नं० 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने हेतु वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। वादग्रस्त भूमि के नाकली बांध परियोजना के तहत अवाप्त होने का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि यह मान भी लिया जावे कि उक्त भूमि नाकली बांध परियोजना के तहत विधि अनुसार अवाप्त कर ली गई है, तो भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी खातेदार या अन्य प्रकार के आसामी आदि की श्रेणी में नहीं होने से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का स्वत्वाधिकारी प्रमाणित नहीं है। अतः स्वत्व के अभाव में अर्थात हितग्राह्यता के अभाव में भूमि के मुआवजे का अनुतोष भी वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः यह तनकी खिलाफ वादी तय की जाती है।

तनकी नं० 4:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी नम्बर-1 में वर्णित दस्तावेज से यह प्रमाणित है, कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन 46 वर्ष पूर्व हुआ

[illegible]

उपर्युक्त [illegible]

प्रतिवादी [illegible] वादी [illegible]

तनकी नं॰ 5:— तनकी नम्बर [illegible]

विनिश्चय से यह तय है, कि वादी को वादग्रस्त जमीन ख॰ नं॰ २६५ (रकबा १०) रि॰ ६.९.६१ को आवंटन हुई। किन्तु वादी अभी खातेदारी घोषणा का हकदार नहीं और न ही स्थाई निषेधाज्ञा व मुआवजे का हकदार है।

किन्तु न्यायहित में हम यह उचित समझते हैं, कि चूंकि भूमि सिवाय चक दर्ज है, और यदि भविष्य में उक्त भूमि का आवंटन किया जाता है, तो उक्त भूमि के संबंध में वादी को प्राथमिकता प्रदान की जावे।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। तथा निर्देश दिये जाते हैं, कि जब भी ग्राम सोहनपुरा की भूमि खसरा नं॰ २६५ – सिवायचक (रकबा १०) का आवंटन हो तो वादी को प्राथमिकता देकर आवंटन किया जावे। – पत्रावली फैसल तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली बाद तामील तकमील व शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज तारीख रि॰ 13.3.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया / विलूत निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ता॰ किया

13/3

(चिमनलाल मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

रामगंजमण्डी